भारत सरकार
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3420
16 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए नियत

"इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग"

3420. श्री राकेश सिंह:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अन्य वाहनों की तुलना में ई-वाहनों का मूल्य अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ई-वाहनों के मूल्यों को कम करने तथा इन्हें बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : जी, हां। गत तीन वर्षों में देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में वृद्धि हुई है। ई-वाहन पोर्टल के अनुसार गत तीन वर्षों (अर्थात 2017-18, 2018-19 और 2019-20) के दौरान पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वर्ष	बिक्री किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या
1	2017-18	69,012
2	2018-19	143,358
3	2019-20	167,041
	कुल	**379,411**

(ग) से (ड.) : इलेक्ट्रिक वाहनों की अग्रिम लागत अंतर्दहन इंजन (आईसीई) से अधिक है। किंतु, इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रचालन लागत आईसीई वाहनों से कम है। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों और आईसीई वाहनों के बीच लागत अंतर को कम करने के लिए फेम इंडिया स्कीम के चरण-।। के तहत मांग प्रोत्साहनों के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

इसके अलावा, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें भी की गई हैं:

(i) इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है; इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जरों/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

(ii) विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए बिजली की बिक्री को 'सेवा' के रूप में अनुमत किया है। इससे चार्जिंग अवसंरचना में निवेश आकर्षित करने के लिए भारी प्रोत्साहन उपलब्ध होगा।

(iii) सरकार ने सां.आ. 5333 (अ) दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के द्वारा बैटरी-चालित परिवहन वाहनों और इथेनॉल एवं मिथेनॉल इंधनों से चलने वाले परिवहन वाहनों को परमिट की आवश्यकता में भी छूट प्रदान की है।

(iv) वर्ष 2019-20 के बजट में माननीया वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के प्रयोजन से लिए गए ऋण पर प्रदत्त ब्याज पर ₹ 1.5 लाख की अतिरिक्त आयकर छूट के प्रावधान की घोषणा की।

(v) सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वाहनों में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रणाली अथवा इलेक्ट्रिक किट के रेट्रो-फिटमेंट को अधिसूचित किया है और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहनों की टाइप अनुमोदन प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की है।

(vi) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 4.0 किलोवाट तक के गियरलैस ई-स्कूटर/बाइक चलाने के लिए 16 से 18 वर्ष की आयु वालों को लाइसेंस देने के लिए कुछ विनिर्देश अधिसूचित किए हैं।

(vii) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने निजी और वाणिज्यिक भवनों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराने हेतु शहरी एवं क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देशों में संशोधन किए हैं।

******